योजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है ;

(ख) ये परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर हैं और प्रत्येक परियोजना के लिये गत दो वर्षों में कितनी केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कितनी सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना पर कितनी धन राशि खर्च होने का अनुमान है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

परियोजना का नाम	1967-68 और 1968-69 के दौरान दी गई पृथग् रक्षित सहायता	1969-70 के लिये प्रस्तावित पृथग् रक्षित सहायता
1	2	3
	(लाख रुपयों में)	
1. भूतपूर्व मध्य भारत क्षेत्र में चम्बल परियोजना चरण 1 व 2 (गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बराज और सिंचाई नहरें)	783.19	80
2. बांध परियोजना (महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बांध परियोजना की दक्षिण तट नहर मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र की सिंचाई करेगी)	52	60
3. तवा परियोजना (होशंगाबाद जिले की)	इस परियोजना के लिये 1969-70 से पृथग् रक्षित सहायता दी जा रही है।	300

(ग) चौथी योजना के लिये मध्य प्रदेश में नई सिंचाई परियोजनाओं के कार्यक्रम को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दोष सिद्ध के मामले

3785. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक कार्यालयों विभागों में वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70, की अवधि में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 420, 437, 477 ए और 120 के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किये गये और

दोष सिद्ध होने वाले मामलों की संख्या क्या थी; और

(ख) उन मामलों का पूरा ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). 1967-68 और 1969-70 (जुलाई 1969 तक) वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला पंजीकृत नहीं हुआ ।

बहरहाल, 1968-69 के दौरान, बिजली उपकरणों और झलाई करने वाली सिलिकन कांसे की छड़ियों की चोरी/गबन के लिये व्याम-सतलुज लिंक परियोजना के एक अनुभागीय अधिकारी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 और 409 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था । पुलिस अभी इस मामले की छान-बीन कर रही है ।

Legalisation of Abortion

3786. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether opinions of the Government of States and Union Territories have been obtained about the proposal of legalising abortion; and

(b) if so, the States and the Union Territories which have supported the measure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING; AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : (a) Yes.

(b) The State Governments of Assam, Bihar, Gujarat, Jammu and Kashmir, Haryana, Maharashtra, Mysore, Orissa, Rajasthan and West Bengal and the Union Territories of Goa, Daman and Diu, Himachal Pradesh, Pondicherry, A. & N. Administration, L. M. A. Islands, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli have fully supported the measure. The State Governments of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab and Uttar Pradesh and the Union Territory of Delhi have also given qualified support to the measure.

भूमि और मकानों के बढ़ते हुए मूल्यों और किरायों में कमी करने के लिये उपाय

3787. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मकानों की समस्या दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और भूमि के मूल्यों और मकानों के किरायों में, विशेष रूप से बड़े नगरों में, भारी वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो देश में बढ़ते हुए भूमि के मूल्यों और मकान के किरायों में कमी करने और मकानों की समस्याओं को हल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति): (क) और (ख). देश में मकानों की कमी में राहत देने केलिये, सरकार पहले ही कई सामाजिक आवास योजनाएं तैयार कर चुकी है, जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्यों के प्रशासनों द्वारा किया जा रहा है । इन योजनाओं में एक (योजना यह) है, बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन तथा विकास, जिस में अन्य बातों के साथ साथ भावी-आवास-निर्माताओं को विशेषकर उन्हें जो निम्न आय वर्ग में आते हैं—उचित दर पर आवास स्थल उपलब्ध करने की व्यवस्था है । साधनों के नियन्त्रण के कारण, योजनाओं में प्रगति मांग की अपेक्षा बहुत कम है । इस स्थिति को हल करने के